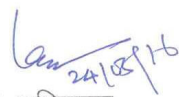


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम, पिपरी-सोनभद्र द्वारा कनहर सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों बायीं कनहर नहर एवं दायीं कनहर नहर तथा इनसे निकलने वाली शाखाओं, अल्पिकाओं एवं राजवाहों के निर्माण हेतु रेनुकूट वन प्रभाग के दुद्धी, विंदमगंज, एवं बघाडू रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 103.6750 हे० वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग के कोन रेंज के अन्तर्गत प्रभावित होने वाली 23.4887 हे० वन भूमि (कुल वन भूमि 127.1637 हे०) को हस्तांतरण हेतु प्रस्तावित किया गया है। जिसकी माँग न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। परियोजना में प्रभावित वन भूमि की स्वीकृति के संबंध में भारत सरकार/उ.प्र.सरकार द्वारा एन.पी.वी.की धनराशि जमा कराये जाने के संबंध में जो शर्तें लगायी जायेंगी उसका अनुपालन करने हेतु बचनबद्धता प्रस्तुत करता हूँ।


अधिशासी अभियन्ता
कनहर निर्माण खण्ड-प्रथम,
पिपरी-सोनभद्र